पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/16

दिनांक– 27 .07.2016

सीआईओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह जून–2016 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 05 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून –2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–16	54	54	72566	72566	72	–	–

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून –16

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–16	0	0	0	0	0	0	0

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जून –16

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जून–16	54	54	72566	72566	72	–	–

रेल अधिनियम के तहत माह जून &2016 में की गई कार्यवाही का विवरण :–

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	5475	2561821
138	16328	7422431
139	0	0
141	588	227905
142	0	0
143	4	0
144	1697	625625
145	976	77020
146	23	12485
147	515	66300
153	1	0
154	22	55550
155	960	84000
156	288	38150
157	0	0
159	847	102768
160	10	33000
161	0	0
162	886	40100
163	0	0
164	1	0
165	0	0
166	0	0
167	50	5700
172	0	0
173	0	0
174	11	25000
175	0	0
176	0	0
180(g)	1	2400
Total	28683	11380255

क्रं	मंडल	दिनॉक	सराहनीय कार्य का विवरण
1.	भोपाल	01.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) दिमागी रूप से विक्षिप्त महिला को परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 01.06.2016 को भोपाल पोस्ट के रेसुब सउनि चंदन सिंह मय स्टाफ आरक्षक वी.एस.परमार, आरक्षक रोहित सिंह चंदेल स्टेशन गस्त के दौराने पीएफ नं. 06 के ओवर ब्रिज पर एक मानसिक रूप से बीमार महिला उम्र करीबन 29 वर्ष घूमती हुई दिखाई दी गई। रेसुब.स्टाफ द्वारा पूंछताछ करने पर महिला द्वारा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया। रेसुब. द्वारा महिला को पोस्ट पर लाकर बैठाया। करीबन 30 मिनट बाद एक व्यक्ति उक्त महिला का फोटो लेकर प्लेटफार्म पर आया एवं रेसुब. के सउनि चंदन सिंह को फोटो दिखाते हुये बताया कि उक्त महिला दिनांक 01.05.2016 को झांसी–ग्वालियर के मध्य से गुम हो गई थी। जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। रेसुब. के सउनि चंदन सिंह द्वारा व्यक्ति को बताया कि उक्त महिला को पोस्ट पर लाकर बैठाया है। बाद रेसुब. द्वारा उक्त महिला के भाई जगदीश उर्फ पप्पू दांगी निवासी मूडरा गणेशपुर जिला विदिशा थाना गुलाबगंज मोबाइल नं. 9685822865 को पोस्ट परलाया गया। एवं महिला संबंधी जानकारी लेने पर जगदीश ने बताया कि उक्त महिला का नाम ललिता बाई पत्नी फूल सिंह दांगी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मूडरा गणेशपुर थाना गुलाबगंज जिला विदिशा म.प्र. बताया। रेसुब. द्वारा उक्त महिला के भाई जगदीश उर्फ पप्पू को समक्ष गवाहान व महिला आरक्षक ज्योति यादव सी के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया।
2.	कोटा	01.06.16	**(कोटा मण्डल/सवाईमाधोपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा यात्री के छूटे हुये मोबाईल को यात्री के देने बावत्।** दिनाक 01.06.16 को समय 20.05 बजे गाड़ी सं 13240 कोटा –पटना एक्स के सु. पार्टी इंचार्ज सउनि महाराज सिंह ने मसुनि कक्ष कोटा को नोट कराया कि यात्री विनोद कुमार पीएनआर नं. 8747717369 एक्स कोटा से पटना को एक मोटोरोला कम्पनी का सफेद रंग का मोबाइल मय चार्जर स.माधोपुर प्लेट फार्म नं. 1 वेटिंग रूम में चार्जिग में लगा रह गया है। सूचना पर सउनि ि ावरामसिंह सवाईमाधोपुर द्वारा तला ा करने पर मिल गया बाद सुरक्षा पार्टी के माध्यम से यात्री को सूचित किया। यात्री द्वारा बताया कि मेरा भाई अमित कुमार मोबाइल नं. 9709833394 दिनांक 4.6.2016 को सवाईमाधोपुर आकर प्राप्त करेगा। उक्त मोबाइल सवाईमाधोपुर पोस्ट पर जमा है जिसे यात्री के भाई अमित कुमार के आने पर सुपुर्द किया जावेगा।
3.	कोटा	01.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा बीमार व्यक्ति को उपचार उपलब्ध कराकर जीवन रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने बावत्।** दिनाक 01.06.16 को गाड़ी सं 12956 जयपुर मुंबई सु.फा. के कोटा स्टेशन के प्लेटफार्म नं 02 पर आने पर सउनिरी बीरबल सिह द्वारा आरक्षक मलखान सिह के साथ गाड़ी को अटेण्ड किया गया तो सामान्य कोच से एक यात्री नाम साजिद खान पुत्र सरूदीन उम्र 30 वर्ष जाति निवासी–पच्चीपलिया थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर राज0 सवाई माधोपुर से कोटा का था, अचानक हार्ट पेन के कारण प्लेटफार्म पर गिर गया। रेसुब. स्टाफ द्वारा बीमार व्यक्ति को उठाया व तुरंत पीठ पर लादकर वीआईपी गेट पहुचाया बाद तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर उपचार हेतू रेलवे अस्पताल कोटा पहुॅचाया व यात्री के भाई भाकिर को मो0 न0 9982140351 पर सूचित किया। उसके भाई द्वारा अग्रिम उपचार हेतू एमबीएस अस्पताल ले जाया गया है।
4.	भेापाल	02.06.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 02.06.2016 को इटारसी स्टेशन के रेसुब. उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी एवं हमाराह स्टाफ आरक्षक रविन्द्र व प्र.आर. ललित सारस्वत को दौराने गस्त एक छोटी बालिका सीढ़ियों पर रोते हुये दिखाई दी गई, रेसब. स्टाफ द्वारा बालिका को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम वैष्णवी पिता गणेश उम्र 10 वर्ष बताया, और बताया कि वह अपने माता–पिता से बिछढ़ गई है। रेसुब. द्वारा तुंरत कार्यवाही कर एनाउंसमेन्ट कराया, जिसे सुनकर बच्ची के माता–पिता इटारसी पोस्ट पर आये बाद बालिका वैष्णवी ने अपने परिजनों को पहचान लिया। बाद गवाहो के समक्ष उक्त बालिका को उसके पिता गणेश अत्रे पुत्र सोमनाथ उम्र 31 वर्ष निवासी बुरहानपुर मोबाईल नं. 9753745419 को सुपुर्द किया गया।
5.	कोटा	03.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा 02 बालिको को चाइल्ड केयर लाइन कोटा को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 03.06.16 को कोटा स्टेशन पर रेसुब. के उपनिरीक्षक योगेन्द्र भार्मा को गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 4 पर 02 बालक लावारिस हालत मे घूमते पाये गये। रेसुब. द्वारा बालको से पूछताछ करनें पर अपना नाम **1.**संजु पुत्र मोहन लाल उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम पाल्याकला पीएस मण्डीमाड जिला उज्जैन म.प्र. **2.** लखन पुत्र रामू उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम पाल्याकला पीएस मण्डीमाड जिला उज्जैन म.प्र. बताया व परिवार से बिछुड़ना बताया। बालको द्वारा परिवारजनो की जानकारी नही होना बताया। रेसुब. के उपनिरीक्षक योगेन्द्र भार्मा द्वारा इसकी जानकारी चाइल्ड केयर लाइन कोटा को दी गई। चाइल्ड लाइन कोटा के प्रतिनिधी भोलेन्द्र सिह के कोटा पोस्ट पर आने पर आने पर रेसुब. स्टॉफ द्वारा बच्चो को आव यक कार्यवाही पूर्ण कर सुपुर्द किया गया।
6.	भेापाल	04.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 04.06.2016 को भोपाल स्टेशन पर रेसुब/स.उ.नि आर.के.बौरासी ने गाड़ी संख्या 22416 को अटैंड किया तो पाया कि उक्त ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री दिलीप गुप्ता पुत्र मुंशी गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी सी –3/16 वशिष्ठ पार्क नई दिल्ली 110046 मो.न. 9582270350 जो कोच बी –2, बर्थ 17 पर नई दिल्ली से आगरा यात्रा कर रहे थे, जो आगरा उतर गये उनका एक काले रंग का बैग छूट गया था जिसे भोपाल मे स.उ.नि आर.के.बौरासी भोपाल मे अटेंड किये व बैग को उतारा गया। बाद उनके सहकर्मी श्रीमति कविता पत्नी डा.निशान सिन्हा भोपाल मे रेसुब पोस्ट

			पर आर्यी बाद यात्री से संपर्क किया गया तथा समक्ष गवाहन संपूर्ण कार्यवही कर सुपुर्द किया गया।
7.	कोटा	05.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा अवैध वैन्डर से चोरी का मोबाईल बरामद करने बावत्।** दिनॉक 04.6.016 को रेल्वे स्टेशन कोटा जं0 पर आरक्षक मलखान सिंह व आरक्षक नरेन्द्र सिंह ड्यूटी के दौरान गाड़ी संख्या–12904 अप स्वर्ण मन्दिर मेल पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने काले रंग की MEALS ON WHEALS लिखी हुई वर्दी पहन रखी थी पानी की बोतल बेचते मिला। रेसुब. द्वारा व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि वह उक्त गाड़ी के पेन्ट्रीकार में वेंडर का कार्य करता एवं पेन्ट्रीकार का स्टॉफ है। रेसुब. के द्वारा पता करने पर पेन्ट्रीकार के मेनेजर ने अपना स्टाफ होने से मना कर दिया। रेसुब. द्वारा उक्त व्यक्ति को पानी बेचने के लिये मना करने पर भी वह पानी बेच रहा था। रेसुब. द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़कर कोटा पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम सुमित तिवारी पुत्र कमले ा तिवारी उम्र–19 वर्ष निवासी–गॉव–बबईया, पोस्ट–बबईया ,पुलिस थाना–सिमरिया ,जिला–रीवा (म0प्र0) बताया जिसे उचित कार्यवाही हेतू रेल्वे सुरक्षा बल कोटा पोस्ट पर लेकर आये एवं तला ी लेने पर उक्त के पास से दो मोबाइल (1) Apple I Phone 6s (2) SAMSUNG Grand New Duos व 3400/–रूपये नगद पाये गये। रेसुब. द्वारा अधिक पूछताछ करने पर Apple I Phone 6s को दिनॉक 02.6.2016 को गाडी संख्या–12903 के कोटा स्टे न पर पहुॅचने के पहले प्रथम वातानुकूलित कोच से चोरी करना एवं दूसरे मोबाईल के संबंध में भी कोई संतोश जनक जवाब नही दे पाया ना ही बिल आदि प्रस्तुत किया। जिसके विरूद्व कोटा पोस्ट अपराध कमांक –2340/2016 धारा 144 रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। रेसुब.द्वारा उक्त मोबाईल के संबंध में थाना जीआरपी कोटा से जानकारी प्राप्त की गई तो बताया गया कि Apple I Phone 6s की चोरी के संबंध मे एफआईआर कमांक 158/2016 धारा 380 भादस दिनॉक 04.6.016 दर्ज किया गया है। अतः आरोपी सुमित तिवारी को श्री मयंक तिवारी की जमानत पर माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वेज) कोटा के समक्ष पेश होने बाबत् पाबंद कर जमानत पर छोड़ा गया है। आरक्षक मलखान सिंह व आरक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है जो कि उनकी डयूटी के प्रति सर्तकता एवं कर्त्तव्यनिश्ठा को प्रद िंत करता है।
8.	कोटा	06.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को चाइल्ड लाइन कोटा को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 06.06.2016 को कोटा स्टेशन पर रेसुब. के प्रआ महेन्द्र सिंह मीणा तथा आरक्षक शीशराम गुर्जर को गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं 4 पर गाड़ी संख्या 22660 केरल सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक बालक लावारिस हालत में दिखाई दिया गया। रेसुब. द्वारा उक्त बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम आकाश उम्र करीबन 16 साल निवासी मथुरा बताया तथा परिवारजनो की जानकारी होना नहीं बताया तथा बताया कि वह करीबन 01 साल पहले किसी बात पर नाराज होकर अपने घर से भाग गया था तथा प्लेटफार्म पर ही रहता था। रेसुब. द्वारा चाइल्ड केयर लाइन को सूचना दी गई। चाइल्ड केयर लाइन कोटा के प्रतिनिधि आकाश के पोस्ट में आने पर रेसुब. स्टॉफ द्वारा उक्त बालक को सुपुर्द किया।
9.	कोटा	06.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस हालल में मिले पर्स को एलपीओ में जमा कराने बावत्।** दिनांक 6.6.2016 को कोटा स्टेशन में रेसुब. के आरक्षक मान सिंह गुर्जर जो कि 20.00 से 08.00 बजे की डियूटी में सील चैकिंग डियूटी पर तैनात थे। आरक्षक मान सिंह गुर्जर को प्लेटफार्म पर रेल लाइन में एक छोटा लेडिस पर्स पड़ा हुआ मिला। उक्त संबंध में आसपास के यात्रियों से पूछा तो किसी ने अपना नहीं होना बताया। बाद उक्त पर्स को कोटा पोस्ट पर सउनि धर्म सिंह को सुपुर्द किया उक्त पर्स में 2840 रूपये, चांदी का सिक्का, चांदी के दो ताबीज, चांदी जैसे 03 नग, पीले रंग की एक रिंग, तथा तांबे के 02 छोटे खड़ाउं मिले। पर्स में पहचान योग्य कोई दस्तावेज आदि नहीं मिला। आरक्षक मानसिंह द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए पहले तो उक्त सामान के मालिक का पता करने का प्रयत्न किया गया जिसका पता नही चल पाने पर उक्त सामान को नियमानुसार एलपीओ में जमा करवाया गया।
10.	कोटा	06.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा बीमार यात्री को उपचार उपलब्ध कराने के संबध में।** दिनांक 06.06.16 को कोटा स्टेशन पर समय करीबन 13.00 बजे प्लेटफार्म नं 3 पर झालावाड कोटा सवारी गाड़ी आकर रूकी। उक्त गाड़ी के यात्रियों ने गाड़ी से एक यात्री को उतारा गया जिसकी तबियत अत्यधिक खराब थी। बीमार यात्री के सहयोगी द्वारा डियूटी पर कार्यरत प्रआ अरविन्द मलिक जो कि निरीक्षक कार्यालय में कार्य कर रहे थे, को जाकर बताया एवं मदद मांगी। रेसुब. के प्रआ अरविन्द मलिक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 108 एम्बूलेंस को सूचित किया तथा उक्त बीमार यात्री की सहायता करते हुए उसे उस यात्री के साथी राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ढावला माधोसिंह तहसील भानपुर जिला मंदसौर के साथ जाकर एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। बीमार यात्री का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह बताया। डाक्टरों द्वारा तुरन्त उपचार प्रारंभ किया गया किन्तु उक्त यात्री को बचाया नहीं जा सका तथा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रआ अरविन्द मलिक ने मानवता का परिचय देते हुए उक्त बीमार यात्री की त्वरित तथा यथा संभव सहायता प्रदान की।
11.	कोटा	07.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 07.06.2016 को एक महिला यात्री यात्रा के दौरान अनुरक्षण दल के पास आई एवं बताया

			कि महिला का नाम डा0 अनीता निवासी फ्लेट नं 1 पीओक्यू 2 बी केईएम हॉस्पिटल परैल मुम्बई गाड़ी नं 12956 जयपुर मुम्बई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कोटा से मुम्बई जाने के लिए कोटा स्टेशन पर आई। यात्री का रिजर्वेशन कोच न बी 3 की सीट नं 39 पर था। हड़बड़ी में अपना एक बैग प्लेटफार्म नं 2 पर ही छोड़ दिया तथा गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। अनुरक्षण दल द्वारा उक्त सूचना से कोटा पोस्ट पर आरक्षक भरतलाल मीणा को अवगत कराया। रेसुब. कोटा द्वारा तुरन्त उक्त बैग को तलाश करने के लिए रवाना हुआ तथा तलाश करने पर बैग प्लेटफार्म पर मिल गया जिसमें कपडा एवं खाने की सामग्री थी। महिला को बैग मिलने की सूचना देने पर महिला ने बताया कि उनका पुत्र श्री शाहील पुत्र श्री शिवाजी चालक उम्र 17 साल मोबाइल नं 9521279712 के पोस्ट पर आने पर बैग सुपुर्द कर दिया जाये। महिला के पुत्र श्री शाहील के आरपीएफ पोस्ट कोटा पर आने पर उक्त बैग सही हालत में सुपुर्द किया।
12.	भोपाल	07.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस पॉलिथिन को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 07.06.16 को एक व्यक्ति भोपाल पोस्ट पर आये एवं बताया कि यात्री नाम यश जैन पुत्र जितेन्द्र जैन उम्र 20 वर्ष निवासी बालाबाई का बाजार लश्कर ग्वालियर म.प्र. जो ट्रेन न. 12780 कोच बी – 3 बर्थ न. 46 पर ग्वालियर से भोपाल यात्रा कर रहे थे यात्री भोपाल उतर गये गलती से इनकी एक पालीथीन गाड़ी मे छूट गयी एवं गाड़ी अगले स्टेशन के लिये रवाना हो गई है। भोपाल पोस्ट द्वारा उक्त सूचना से इटारसी स्टेशन को अवगत कराया गया। उक्त सूचना पर गाड़ी के इटारसी स्टेशन आने पर रेसुब. स्टाफ द्वारा अटेंड किया गया एवं बताये अनुसार पालीथीन मिलने पर इटारसी द्वारा गाड़ी न. 18237 के गार्ड के पास रखवायी गयी व जिसे भोपाल मे उतार कर यात्री यश जैन को भोपाल पोस्ट पर बुलाकर समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
13.	कोटा	08.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा सतर्कता दिखाते हुये स्मैक बरामद करने बावत्।** दिनांक 07.06.2016 को कोटा पोस्ट सउनि धर्म सिंह साथ में कॉ नरेन्द्र कमार कॉ. दिनेश, एसीपी एवं यात्री विशयक अपराध रोकथाम ड्युटी पर स्टेशन पर तैनात थे। गस्त के दौरान कोटा स्टेशन पर समय 22.45 बजे गाड़ी सं. 12415 इंटरसिटी के आगमन पर सामान्य कोच में 02 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिये एवं रेसुब. स्टाफ करे देखकर दोनो व्यक्ति अपनी सीट से उठकर जाने लगे तब रेसुब. द्वारा उन्हे रोककर पूछताछ करने पर दोनो व्यक्ति द्वारा बताया कि वह भवानीमंडी से दिल्ली जाना बताया एवं दोंनो ने अपना नाम 1) अवतारसिह पुत्र राजसिंह उम्र 22 साल सागर बस्ती पातना पु. थाना पातनाजिला पटियाला (पंजाब) 2) मक्खनसिंह पुत्र यादवसिंह उम्र 33 साल निवासी नायल पु. थाना पातनाजिला पटियाला (पंजाब) बताया, बाद रेसुब द्वारा दोनो की तलाशी लेने पर अवतारसिंह के पास मिले बेग में 50 ग्राम स्मेक तथा मक्खन सिंह के पास मिले बेग में 100 ग्राम स्मैक मिली। रेसुब. द्वारा जीआरपी को सूचना दी गई। सूचना पर जीआरपी निरीक्षक मौके पर कार्यवाही कर दोनो आरोपी के खिलाफ जीआरपी कोटा मे अभियोग सं. 164/2016 धारा–8/21 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 08.06.2016 को दर्ज किया।
14.	जबलपुर	09.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब/जबलपुर के मैसेज से यात्री को उसका बैग मिलने बावत्।** दिनांक 09.06.2016 को श्रीमान् मण्डल सुरक्षा आयुक्त महोदय को सीयूजी मोबाईल 9752419064 पर मैसेज मिला कि गाड़ी क्रमांक 11471 ओवर नाईट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री के.पी.एस.राजपूत का सीडी कम्पेंट नम्बर ए/डब्लूसी/जबलपुर/ 000093425 मोबाईल नम्बर 7803805209 पीएनआर नम्बर 8647976930 दिनांक 08.06.16 कोच नम्बर एस–11 बर्थ 55 का सामान (दौ बैग) छूट गया है। गाडरवारा में अटेण्ड कर चैक करें। सूचना पर डी.एस.सी. आर./जबलपुर में पदस्थ स्टाफ प्रधान आरक्षक मनीष झारिया द्वारा तुरंत यात्री के मोबाईल पर सम्पर्क किया गया तो यात्री ने बताया कि उसका सामान छूट गया है। उक्त सूचना को गाडरवार रेसुब/स्टाफ व जबलपुर रेसुब/पोस्ट में नोट कराया गया। बाद इटारसी रेसुब/पोस्ट पर आरक्षक प्रजापति से सम्पर्क करने पर बताया कि दो बैग अज्ञात इटारसी स्टेशन पर उतारे गए है। बाद उक्त यात्री से सर्म्पक करने पर बताया कि हरे कलर का बैग जो पन्नी में रखा है उसे इटारसी स्टेशन में उतारा गया है बाद यात्री द्वारा बताया गया कि मैं अभी गाडरवारा स्टेशन में हूं बाद में इटारसी जाकर बैग प्राप्त कर लूंगा। उक्त सूचना मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जबलपुर द्वारा रेसुब इटारसी पोस्ट में नोट कराया गया।
15.	भोपाल	10.06.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब/एस्कार्टिंग ड्युटी स्टाफ द्वारा 03 लावारिस बच्चो को पकड़कर परिजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 10.06.16 को ट्रेन 11016 कुशीनगर एक्स. की सीआरडब्लूएस भोपाल रेसुब स्कार्टिंग स्टाफ आरक्षक सतीश चौधरी, आरक्षक सचिन, आरक्षक मंजीत एवं आरक्षक पूरन मल मीणा द्वारा डियुटी के दौरान लावारिस हालत में 03 नाबालिक बच्चे, (1.) अभिषेक पुत्र विष्णु उम्र 14 वर्ष निवासी भोपाल (2.) धन्नु गौतम पुत्र समर उम्र 12 वर्ष निवासी भोपाल (3.) वीरू पुत्र राम सिंह उम्र 10 वर्ष भोपाल को पकड़ा। पूछताछ करने पर उनके द्वारा घर से भागना बताया। बाद उक्त स्कार्टिंग स्टाफ द्वारा लिखित आवेदन के साथ उक्त बच्चो को महिला उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी इटारसी रेसुब/पोस्ट को अगली कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। बाद अभिषेक को उसके मामा को सुपुर्द किया एवं अन्य दोनो बच्चें धन्नु एवं वीरू को जीवोदय संस्था इटारसी के संरक्षण में सुपुर्द किया एवं परिजनों के आने पर रेसुब के समक्ष सुपुर्द करने का निर्देश किया गया।
16.	जबलपुर	11.06.16	**(जबलपुर मण्डल/कटनी पोस्ट) रेसुब स्टाफ द्वारा 01 लावारिस बच्चे को पकड़कर चाइल्ड लाइन/कटनी को सुपुर्द करने बावत्।** दिनॉक 11.06.16 को कटनी स्टे ान पर रात्रि के समय ऑन डियूटी रे0सु0ब0 स्टाफ प्र0आ0 विनय त्रिपाठी को एक बालक जिसने अपना नाम व पता ऐशू वल्द संतोष कोरी, उम्र 09 वर्ष, सा. वार्ड नं0 14, खितौली थाना सिहोरा, जिला जबलपुर बताया, लावारिस हालत मे मिला। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने माता–पिता के साथ

			मैहर गया था, वापस आते समय कटनी स्टे ान पर अपने माता–पिता से बिछड़ गया था। उक्त बालक को रेसुब पोस्ट कटनी लाया गया। उसके परिजनों को स्टे ान पर ढूढा गया नही मिलने पर उक्त बालक को रात्रि मे पोस्ट पर रखा गया बाद सुबह चाइल्ड हेल्प लाइन पर फोन कर सूचना दी गई जिस पर चाइल्ड लाइन कटनी के काउन्सलर श्री चंदन चौहान आत्मज श्री बब्बन चौहान, उम्र 30 साल सा0 कलेक्ट्रेट कटनी के पास थाना माधवनगर जिला कटनी मो0 नं0 7828145991 (आफिस– विश्रामबाबा राजविहार के सामने कटनी) पोस्ट पर उपस्थित हुए जिन्हें उक्त बालक सहित गवाहान मुताबिक सुपुर्दगी पंचानामा सुपुर्द किया गया।
17.	कोटा	12.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बैग को उसके मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 11.06.16 को कोटा पोस्ट से उपनिरी. योगेन्द्र शर्मा द्वारा दौराने गस्त गाडी सं 12060 के कोटा आने पर कोच सं डी 2 मे सीट नं 49.50.51 पर एक बगै लावारिस हालत मे पड़ा हुआ पाया गया, जिसमे एक लेपटोप व कुछ आईडी थी, जिसे आसपास पूछने पर किसी ने भी अपना नही होना बताया बाद बैग को लेकर कोटा पोस्ट पर आये बैग को चैक करने पर उसमे एक लेनोवो कंपनी का लेपटोप, आधार कार्ड व अन्य प्राइवेट आईडी व एयरटेल कंपनी का 4 जी डोंगल था, आईडी मे लिखे नंबर के आधार पर उसमे लिखे फोन नं 9772458624 पर संपर्क किया तो यात्री सिद्वांत कुंदल ने बताया कि मेरा बेग भरतपुर से कोटा आने पर जल्दबाजी मे कोच मे ही छूट गया बाद उक्त यात्री सिद्वांत कुंदल पुत्र लक्ष्मीचंद उम्र 17 वर्श निवासी–बी 302 श्रीनाथ रेजीडेंसी स्टेशन रोड कोटा राजस्थान **आज दिनांक 12.06.16** को रेल सुरक्षा बल कोटा पोस्ट पर आया जिसके द्वारा अपने सामान की पहचान सही बताने पर उक्त बेग यात्री के सुपुर्द किया तथा यात्री से फीडबेक फार्म भरवाया गया जिसमे यात्री की रेसुब की कार्यवाही से पुर्ण सुंतुष्ट हुआ।
18.	कोटा	12.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बैग को उसके मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 12.06.16 को गाडी सं 12416 मे एक महिला यात्री का नाम कोकिला बेन पीएनआर नं 6530883583 जो कि सवाईमाधोपुर से नागदा की यात्रा पर थी। जिसकी तबीयत अचानक खराब होने की खबर पर कोटा स्टेशन पर सउनिरी श्यामसुंदर सिह द्वारा स्टाफ की सहायता से महिला को उतारा गया तथा तुरंत उक्त 65 वर्षीय महिला को स्ट्रेचर पर लिटा कर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी 108 एंबूलेस से उपचार हेतू एमबीएस अस्पताल कोटा मे भर्ती करवाया जहां उपचार पश्चात् महिला यात्री का स्वास्थ ठीक हुआ जिससे फीड बेक फार्म भरवाया गया जो कि रेल सुरक्षा बल की सहायता से पूर्ण संतुष्ट हुई।
19.	कोटा	13.06.16	**(कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बैग(जिसमे 80,000 रूपये नगद थे) को उसके मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 13.06.2016 को सउनि. जवाहर सिंह साथ प्र.आर. मोहन सिंह मीना को भरतपुर स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01 पर पुराने पुल के नीचे एक लावारिस बैग मिला, जिसे खुलवाकर देखने पर 80,000/–रूपये नकद एक पेन्ट व शर्ट में दबाये मिले। सउनि. द्वारा बैग बाबत् इन्क्वायरी से एनाउन्समेंट करवाया गया। एक व्यक्ति पोस्ट पर उपस्थित हुआ तथा अपना नाम–राजेश मिस्त्री पुत्र कोमा बाई मिस्त्री उम्र–53 साल जाति–मेवाडा निवासी–एफ–404 सूखन सिटी थाना–राजीय जिला–अहमदाबाद (गुजरात) पीएनआर नं. 2547411774 एक्स. आगरा फोर्ट से अहमदाबाद बताया तथा बैग अपना होना बताया। बैग में रखे सामान के सम्बंध में पूछताछ करने पर सही ब्यौरा दिया। जिस पर सउनि. जवाहर सिंह द्वारा जांच पडताल कर बैग का सही मालिक होना पाये जाने पर दो स्वतंत्र पंचों को तलब कर 80,000/–रूपये नकद एवं बैग में रखें सामान को बैग मालिक को सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया। सउनि जवाहर सिंह एवं प्र0आर0 मोहन सिंह मीना द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए उत्कृष्ट कार्य किया गया।
20.	भोपाल	14.06.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बैग सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 14.06.2016 को इटारसी स्टेशन पर सउपनि. कमल सिह यादव व आर. आर.के. गर्ग द्वारा गाडी क्र. –12626 केरला एक्स. के एस–02 कोच में नई दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा कर रहे यात्री पर्वत लोधी की सूचना एवं निवेदन पर उनका एक कार्टून जो कि बर्थ न. 47 पर भूलवंश भोपाल में उतार नही सके उसे इटारसी में उतरवाया गया एवं बाद उनके निवेदन पर उनके परिचित रामकुमार सिंह राजपूत मो.नं.–9425643763 को जो कि कृषि विभाग में भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी के पद पर बुदनी में पदस्थ है, उनको दि. 14/06/2016 को दो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष सुपुर्द किया गया है।
21.	जबलपुर	14.06.16	**(जबलपुर मण्डल/कटनी पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा 03 महिलाओं एवं 01 पुरूष को अर्द्धबेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करने बावत्।** दिनांक 14.06.2016 को उपनि आर.पी.गर्ग एवं आर. विनोद कुमार ने गाड़ी सं. 18204 वेतवा एक्स. को अटेण्ड कर विकलांग कोच से 03 महिलाओं एवं 01 पुरूष को अर्द्धबेहासी की हालत में उतारा गया तथा शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जो वर्तमान में बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऐसी आशंका थी की अगर समय रहते यात्री को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता तो कोई अनपेक्षित घटना हो सकती थी। उक्त रेसुब/स्टाफ द्वारा सर्तकता का परिचय देते हुए समय पर कार्यवाही कर सराहनीय कार्य किया गया। यात्री को स्वास्थ लाभ होने के उपरांत रेसुब द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
22.	कोटा	15.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने बावत्।** 01) दिनाक 15.06.16 को एक महिला मीना पत्नि विल्सन उम्र 48 वर्ष निवासी 21/बजरंग नगर थाना उधोगनगर कोटा राज0 जो उक्त दिनांक को मथुरा से कोटा आयी थी, वीआईपी गेट के पास रेल सुरक्षा बल महिला सहायता बूथ पर आई जहां तैनात महिला आरक्षक निधी रावत को बताया कि मेरी बच्ची मुझसे बिछुड गई है बाद उक्त महिला के साथ तलाश करते हुए कोटा पोस्ट पर आये तथा उदधोशणा कक्ष से भी उदधोशणा कराया तथा तलाश करने के दौरान प्रआर सत्यपाल सिह को कोटा स्टेशन के प्लेटफार्म नं 1 के बाहर सरक्यूलेटिंग एरिया मे बच्ची नाम ऐस्टर उम्र 06 वर्ष निवासी 21/बजरंग नगर थाना उधोगनगर जिला काटा राज0 ,लावारिस हालत मे पाई गई।

			आसपास पुछने पर किसी ने अपना नही होना बताया बाद बच्ची को लेकर कोटा पोस्ट पर आये ,बच्ची की ताई द्वारा उसकी पहचान की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर बच्ची को उसकी ताई मीना विल्सन को सकुशल सुपुर्द किया गया। फीड बैक फार्म भरवाया गया जो कि रेल सुरक्षा बल की कार्यवाही से पूर्ण सतुष्ट हुई।
23.	कोटा	15.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब/स्टाफ द्वारा लावारिस बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 15.6.16 को उपनिरी0 योगेन्द्र शर्मा को प्लेटफार्म नं 02 पर दौराने गस्त 02 बच्चे लावारिस हालत मे घूमते मिले ,जिन्हे पोस्ट पर लाकर पूछताछ किया जिन्होने अपने नाम 1.रोहित खंगार पुत्र राजेश उम्र 12 वर्श जाति खंगार ,निवासी मदीना होटल के पीछे ,मौहल्ला नीम चौकी ,अलानुपरा थाना भाहर सवाई माधोपुर राज0 (2) बिट्टू सिह खंगार पुत्र हरिसिंह खंगार उम्र 10 वर्ष निवासी–ग्राम पंचायत जीवली तहसील वजीरपुर थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर राज0 का होना बताया एवं बताया कि हम दोनो अपने घरवालो को बिना बताये गाडी सं 19038 से कोटा शादी सम्मेलन मे आये थे, क्योकि हमारे घरवाले भी सुबह गाडी सं 12416 से कोटा आये थे, लेकिन अपने साथ लेकर नही आये थे ,इस कारण हम दोनो साथ मे कोटा आ गये बाद रोहित ने अपने अंकल गिर्राज कुमार से बात कराई ,उनको पूरी बात बताई ,बाद उक्त दोनो बच्चों के परिजन रेल सुरक्षा बल कोटा पोस्ट पर आये ,परिजनो ने अपने बालको की पहचान की बाद रेल सुरक्षा बल कोटा, जीआरपी कोटा स्टाफ ,डिप्टी एसएस कोटा के समक्ष दोनो बालको को उनके परिजनो को सकुशल सुपुर्द किया
24.	भोपाल	16.06.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा आईपीसी के आरोपी को पकड़कर जीआरपी/इटारसी के सुपुर्द करने बावत्।** दि. 04/06/2016 को पार्सल कार्यालय इटारसी अजय उर्फ अज्जू पंडित ने समय लगभग 19:30 बजे भोपाल निवासी राकेश पाठक से वाद–विवाद पैसे के लेनदेन में हो गया था तो उक्त अज्जू उर्फ पंडित ने चाकू मार दिया व मौके से फरार हो गया था। फरियादी की फरियाद पर जीआरपी द्वारा/इटारसी द्वारा अं.क्र.–232/16 धारा 327,323,294 व 504 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार दि. 09/06/2016 को पुनः उक्त आरोपी द्वारा यही वारदात भोपाल निवासी संजय धाकड़ के साथ समय 20:30 बजे की, जिसके विरूद्व जीआरपी/इटा. में अ. क्र.–237/16 धारा 294,327,504 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया। उक्त दोनो मामलो में जीआरपी इटा. में नामजद आरोपी अजय उर्फ अज्जू उर्फ पंडित पुत्र श्याम उम्र 19 वर्ष निवासी कंजर मोहल्ला करेली जिला होशगाबाद की गिरफतारी हेतु आरपीएफ व जीआरपी द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे। आज दिनांक 16/06/2016 को रेसुब. उपनि. विजय सिह व साथ हमराह स्टाफ प्र.आर. ओ.पी. झारिया, आर. शैलेन्द्र जैसवाल, आर. सचिन यादव व आर. चद्रंमोहन यादव उक्त बल द्वारा गस्त के दौरान समय लगभग 11:20 बजें उसे प्लेटफार्म नं. 01 के भोपाल छोर बिजली कार्यालय के पास पकड़ा जिसके पास एक छोटा चाकू भी बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति को पकडकर जीआरपी इटारसी के सुपुर्द किया गया।
25.	जबलपुर	16.06.16	**(जबलपुर मण्डल/सतना पोस्ट) रेसुब. द्वारा नाबालिक बालिका को चाइल्ड केयर लाइन सतना को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 15.06.2016 को सतना पोस्ट के उपनिरीक्षक डी के पटेल द्वारा स्टेशन चेंकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12296 को चेक किया जा रहा था। गाड़ी के कोच नं. बी–3 मे एक नाबालिक बच्ची नाम अन्जू आत्मज मुख्तार अंसारी उम्र 10 वर्ष निवासी बजरिया बाराणसी मिली बच्ची से पूछताछ करने पर वह कोई सन्तोष जनक जबाब नही दे पा रही थी। गाड़ी चेकिंग के दौरान ही उक्त ट्रेन के जनरल कोच मे एक नाबालिक बालिका जिसका नाम प्रियंका यादव आत्मज लल्लन यादव उम्र 16 वर्ष निवासी अभारी अम्बहर थाना मऊ जिसके पास यात्रा टिकट भी नही था। रेसुब. द्वारा दोनो बालिका को पोस्ट पर लाकर उनके परिवारजनो के बारे में पूछताछ करने पर वह भी कोई सन्तोषजनक जबाब नही दे रही थी। अतः उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पटेल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से दोनो बालिकाओं को चाइल्ड लाइन सतना को सुपुर्द किया गया।
26.	जबलपुर	16.06.16	**(जबलपुर मण्डल/नरसिंहपुर आउट पोस्ट) रेसुब. द्वारा मोबाईल, मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 16.06.16 को नरसिंहपुर आउट पोस्ट पर एक व्यक्ति अमित श्रीवास्तव पिता सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने आकर एक आवेदन दिया कि उनके पिता जी का विडियोकॉन कम्पनी का मोबाइल नरसिंहपुर स्टेशन में गुम हो गया है। उक्त सूचना पर आरक्षक हरीकेश दुबे द्वारा स्टेशन एरिया में मोबाइल खोजा तो नरसिंहपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 01 पर उक्त मोबाइल मिल गया जिसे पोस्ट पर लाकर उक्त मोबाइल के मालिक को समक्ष गवाहन सुपुर्दीनामा तैयार कर सुपुर्द किया गया।
27.	भोपाल	16.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेक पर गिरे हुये पैसो को ऑन ड्यिूटी टीटीई को सौपने बावत्।** दि.16/06/16 को भोपाल स्टे. के प्लेट फार्म क्रमांक 04 व 05 इटारसी छोर पर तैनात आर. अजय प्रताप सिंह गाडी संख्या 11463 सोमनाथ जबलपूर एक्स के आने पर सील चैक किया बाद उक्त गाड़ी रवाना होकर कुछ देर बाद एसीपी में खडी हो गई जिसे उक्त आर. ने दौड़कर अटैण्ड किया तो उक्त गाड़ी के दो अटैण्डर दौड़ते दिखाई दिये उनको रोककर पूछा तो बताया कि आॅन ड्यिूटी टीटीई श्री राजन मिश्रा का कैश गिर गया है। बाद एसीपी पुटराईट होने के बाद गाडी रवाना हो गई बाद आर. वापस प्लेटफार्म की तरफ आते हुए पट्‌रियो पर निगरानी रखने के दौरान 01 पॉच सौ का नोट पड़ा दिखाई दिया जिसकी सूचना सउपनि. आर.के.बौरासी को दिया। बाद आॅन ड्यिूटी टीटीई से मोबाईल पर बात हुई एवं उन्होने अपना मित्र भेजकर उक्त पैसे प्राप्त किये ।

28.	कोटा	17.06.16	**(कोटा मण्डल/शामगढ़ पोस्ट) गाड़ी संख्या 12979 के अनुरक्षण दल द्वारा चोर को पकड़कर शामगढ पोस्ट पर सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 17.06.2016 को प्रं आं अशोक सोलंकी, आरक्षक मनजीत व आरक्षक मलखान गाड़ी संख्या 12979 के अनुरक्षण दल मे नागदा से कोटा जा रहे थे कि अचानक महिला के शोर मचाने पर एक व्यक्ति को उक्त कोच से भागते हुये सुरक्षा पार्टी ने लेडिज पर्स (जिसमें 15000रू थे) के साथ पकड़ा व पकड़े गये व्यक्ति को महिला के पास लाये । महिला द्वारा साबित करने पर उक्त पर्स को मय 15000/– रूप्या के साथ महिला को एस्कार्ट पार्टी द्वारा सुपुर्द किया गया। रेसुब. द्वारा पूछताछ पर महिला ने अपना नाम ममता कॅवर पत्नी विजेन्द्र कुमार अपने दो बच्चे के साथ पीएनआर 8535069529 पर कोच नं. एस 6 की सीट नं. 3,4,5 वापी से जयपुर तक की यात्रा पर थी। महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने से मना करने पर जीआरपी द्वारा बिना किसी दर्ज रिपोर्ट के आरोपी को अपने तांबे में लेने से मना कर दिया। जब गाड़ी कोटा स्टेशन पहुँची तो सुरक्षा पार्टी द्वारा पकड़े गये व्यक्ति शेख राजू पिता शेख शरीफ उम्र 20 साल निवासी किन्दुआ काली बस्ती थाना धनबाद जिला धनबाद झारखण्ड को आरपीएफ पोस्ट शामगढ लाकर सउनि बलवीर सिंह को लिखित तहरीर के साथ सौंपा गया। बाद आवश्यक पूछताछ कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 137,145 का गुनाह पाये जाने पर शामगढ अपराध क्रमांक 2264/2016 दिनांक 17.06.2016 कायम किया जिसे दिनांक 18.06.2016 को रेलवे न्यायालय रतलाम में पेश किया जायेगा।
29.	जबलपुर	17.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा दो नाबालिक बालिकाओ को जागृति चाइल्ड लाइन सेन्टर को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 16.06.16 को जबलपुर रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं0 01 पर रेसुब. सउनि महेश प्रसाद मिश्रा मय स्टॉफ को गस्त के दौरान 02 बालिका मिली जो घर से भागी हुई लग रही है। जिनके पास यात्रा टिकिट नही था। रेसुब. द्वारा दोनो बालिकाओ को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम क्रमशः **1.** पूजा अहिरवार पुत्री ओंकार अहिरवार उम्र 16 साल, निवासी ग्राम जमुनिया थाना बरेला, जिला जबलपुर **2.** अंजली अहिरवार पुत्री मुन्ना अहिरवार उम्र 17 साल निवासी जमुनिया थाना बरेला, जिला जबलपुर बताया तथा बताया कि वह दोनो अपने दोस्त से मिलने स्टेशन आई थी क्योंकि उनके दोस्त ने उन्हें स्टेशन पर बुलाया था तथा पूजा अहिरवार द्वारा बताए गए अपने पिताजी ओंकार अहिरवार के मोबाईल नंबर 8120906190 पर रेसुब. द्वारा संपर्क कर सूचित किया गया एवं जबलपुर पोस्ट पर आने को कहा। बालिकाओ के परिवारजनो के आने तक बालिकाओ को रेसुब. द्वारा जागृति सेन्टर को सूचित कर जागृति सेन्टर की प्रभारी राजकुमारी मैडम के पोस्ट पर आने पर उक्त दोनो लड़कियों को सुपुर्द किया गया।
30.	कोटा	17.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा नाबालिक बालक को चाइल्ड केयर लाइन कोटा को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 17.06.2016 को कोटा स्टेशन पर गशत के दौरान सउनि बसंत कुमार शर्मा द्वारा एक बालक गाड़ी संख्या 12955 के सामान्य कोच से उतरकर लावारिस हालत में घूमता हुआ देखा। पूछने पर बालक ने अपना नाम दीपक पुत्र सावरा जी उम्र 14 साल निवासी फायसागर रोड थाना गंज जिला अजमेर बताया। पूछने पर बालक ने बताया कि उसका अपने एक दोस्त से झगड़ा हो गया था जिसे उसने मारा था तो घरवालों की पिटाई एवं डांट से डरकर घर नहीं गया और दिनांक 15.06.2016 को दादर एक्सप्रेस से मुम्बई चला गया वहां से सूरत और आज दिनांक को सूरत से कोटा आया। बाद उक्त बालक को पोस्ट पर लाकर सउनि बसंत शर्मा द्वारा चाइल्ड केयर लाइन कोटा को सूचना देकर उक्त बालक को प्रतिनिधि शैलेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया। सउनि बसंत कुमार भार्मा के उक्त सराहनीय कार्य किया है।
31.	भोपाल	17.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब.द्वारा लावारिस पर्स को महिला को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 17.06.2016 को भोपाल पोस्ट पर एक महिला सविता गौरव पुत्री मनिलाल गौरव उम्र 28 वर्ष निवासी ए–458 न्यू बागसेवनिया अमराई परिसर भोपाल मोबाईल नं. 9479776112 द्वारा सूचना दी गई कि वह भोपाल स्टेशन के पीएफ नं. 02 पर गाड़ी संख्या 01684 से लखनऊ से भोपाल आई थी। सामान ज्यादा होने के कारण उनका हैन्डपर्स प्लेटफार्म पर ही छूट गया है। उक्त सूचना पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक अजय प्रताप सिंह द्वारा प्लेटफार्म पर जाकर देखा तो उक्त पर्स मिलने पर आरपीएफ पोस्ट लेकर आये एवं सउनि आर.के.बौरासी द्वारा फोन करके उक्त महिला को सूचना दी गई। पर्स में एटीएम कार्ड–05,माबाईल, अन्य महत्वपुर्ण कागजात, और 300/–रू0 नगद, कुल 5000/–रू0 का था। उक्त महिला यात्री के पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा पर्स महिला को सुपुर्द किया गया।
32.	कोटा	17.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा यात्री की जीवन रक्षा करने के संबध में।** दिनांक 16.06.16 को कोटा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस में प्रआ रामखिलाड़ी बैरवा अन्य तीन बल सदस्यों के साथ चित्तौड़गढ़ से कोटा तक एस्कोर्टिंग डियूटी पर तैनात था। समय करीबन 23.00 बजे उक्त गाड़ी बूंदी स्टेशन पर पहुंची तो एक यात्री प्रवेश कुमार जो कि उक्त गाड़ी में टिकट नं 40760067 पर उदयपुर से मथुरा तक की यात्रा पर सामान्य कोच में यात्रा कर रहा था, गाड़ी से उतरकर नल पर पानी पीने लगा। इसी बीच गाड़ी प्लेटफार्म से रवाना होने पर उक्त यात्री ने चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास किया तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह दरवाजे से प्लेटफार्म पर फिसल गया। प्रआ रामखिलाड़ी बैरवा ने उक्त घटना को देखकर तुरन्त उक्त यात्री के पास पहुंचे और एक हाथ से दरवाजे का हेण्डल पकड़कर और दूसरे हाथ से यात्री का हाथ पकड़कर गाड़ी के अन्दर खींच लिया। प्लेटफार्म पर फिसलने के कारण उक्त यात्री का पैर जख्मी हो गया जिसे प्रआ राम खिलाड़ी बैरवा ने प्रथमोपचार दिया। प्रआ रामखिलाड़ी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उक्त यात्री को गाड़ी की चपेट में आने से बचाकर उसकी जान की रक्षा कर सराहनीय कार्य किया।

33.	कोटा	17.06.16	**(कोटा मण्डल/भवानीमण्डी आउट पोस्ट) रेसुब. द्वारा समय रहते सतर्कता दिखाते हुये ट्रेन के पहिये से निकलने वाली आग पर काबू पाकर यात्री के जीवन रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने बावत्।** दिनांक 16.06.2016 को भवानीमण्डी स्टेशन पर गश्त कर रहे उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह ने गाड़ी संख्या 12954 अप अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के कोच नम्बर बी–07/08 के पहियों से आग की लपटें उठती देख तुरन्त संबधित विभाग को सूचना दी। उपनिरीक्षक भवानीमण्डी तथा स्टेशन मास्टर ने वाकी टाकी पर गाड़ी के गार्ड व ड्राईवर से सम्पर्क कर गाड़ी को रूकवाया तब उक्त गाड़ी भवानीमण्डी –कुरलासी के मध्य किमी नं. 818/12–13 पर जाकर 23:10 पर रूकी, वहॉ प्र.आ. महेन्द्र एस के व सिविल पुलिस थाना अपने स्टाफ को लेकर मौके पर पहुॅचकर गाड़ी में उपस्थित टीएक्सआर राधेश्याम कोरी मुख्यालय बडोदरा रेलवे स्टाफ सभी उपस्थित उपरोक्त के साथ अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया। तथा उक्त गाड़ी की सुरक्षा पार्टी के प्र. आ. राजेन्द्र सिंह,आरक्षक श्यामसिंह व आरक्षक समयसिंह ने भी आग को काबू पाने में सराहनीय भूमिका निभाई।
34.	भोपाल	18.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा घर से भागकर आयी महिला को परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 18.06.2016 को भोपाल के रेसुब. के निरीक्षक को शालनी देवी पत्नि वी.के.सिंह द्वारा सूचना दी गई कि गाडी संख्या 12650 कोच एस/2 बर्थ नं. 01 पर एक महिला यात्री मोनिका सिंह पुत्री श्याम नारायण सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी वासुदेवपुर जिला मुंगेर बिहार पीएनआर–2419422628 एक्स नईदिल्ली–यशवंतपुर की यात्रा कर रही थी। जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बिना बताये घर से भागकर आई है। गाड़ी को तुंरत अटैण्ड कराये। उक्त सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुये भोपाल स्टेशन पर गाड़ी को समय 16.30 बजे पीएफ नं. 01 पर आने पर अटेण्ड कर सउनि आर.के. बौरासी हमराय स्टाफ म.आरक्षक ज्योति यादव, आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक बृजराज पाठक द्वारा महिला को भोपाल में उतरा गया। महिला को पोस्ट पर लाकर महिला की बहन को मोबाईल नं. 7415906544 पर संपर्क कर पोस्ट पर आने को कहा। उक्त महिला के परिवारजन के पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा जानकारी लेने पर उन्होने बताया कि मोनिका की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाना नंदावली ईस्ट दिल्ली में की गई। रेसुब.उपनिरीक्षक श्री एम.एस.पटेल द्वारा उक्त महिला को समक्ष गवाहान सुपुर्दगीनामें के तहत परिवचारजनो को सुपुर्द किया गया।
35.	कोटा	18.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा घर से भागकर आयी महिला को नारी निकेतन नान्ता कोटा में सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 18.06.16 को कोटा स्टे ान के रेसुब. डियूटी पर तैनात आरक्षक राय सिंह व आरक्षक नरेन्द्र सिंह को प्लेटफार्म नं 01 पर एक महिला लावारिस हालत घूमते हुए दिखाई दी। उक्त महिला से महिला बूथ पर तैनात महिला आरक्षक कमला चौधरी को बुलाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम नगीना पत्नि सुरे ा उम्र 20 साल जाति यादव निवासी गांव डांगखेड़ा थाना बलुआ जिला गया बिहार बताया। बाद महिला को पोस्ट पर लेकर आये तथा उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुरे ा से मेरी भाादी हुई और बाद में मारपीट करने लगा उससे परे ाान होकर वह घर से भाग कर आई है। महिला ने बताया कि उसे अपने घर गया जाना है। बाद उक्त महिला को सउनि धर्म सिंह तथा महिला आरक्षक हेमलता ने एडीएम कोर्ट कोटा में पे ा कर नारी निकेतन नान्ता कोटा में दाखिल करवाने के आदे ा प्राप्त कर उक्त महिला को नारी निकेतन कोटा में दाखिल किया।
36.	कोटा	18.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा विक्षिप्त व्यक्ति को अपना घर संस्था नांता कोटा सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 18.06.2016 को कोटा स्टे ान के रेसुब. डियूटी पर तैनात आरक्षक राय सिंह व आरक्षक नरेन्द्र सिंह को गस्त के दौरान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति प्लेटफार्म नं 2 पर लावारिस हालत में घूमता दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो वह ना तो सुन पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उस व्यक्ति के पास एक कपड़े की थैली थी जिसे खोल कर देखने पर उसमें 12460 रूप्ये मिले। काफी कोि ा ा के बाद भी उक्त व्यक्ति कुछ नहीं बोला। बाद रेसुब. द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना घर संस्था नांता कोटा को संपर्क कर पोस्अ पर आने को कहा। रेसुब.सउनि धर्म सिंह ने अपना घर संस्था नांता कोटा के प्रतिनिधी के पोस्अ पर आने पर उक्त व्यक्ति को मय 12460 रूप्ये के साथ सुपुर्द किया।
37.	कोटा	18.06.16	**(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 17.06.2016 को यात्री दिलीप कुशवाहा द्वारा मंसुनिकक्ष कोटा को सूचना दी गई कि एक काले रंग का बैग, American Tourister गाड़ी सं 12903 स्वर्णमंदिर मेल के पीछे के सामान्य कोच में छूट गया। मंसुनिकक्ष द्वारा उक्त सूचना कोटा पोस्ट को मिलने पर रेसुब. उनि योगेन्द्र शर्मा साथ आरक्षक महेन्द्र सिंह मीणा, आरक्षक राधा कि ान के साथ उक्त गाड़ी के कोच को चैक किया तथा बैग को तलाश किया तो वह बैग मिल गया। जिसे लेकर पोस्ट पर आये और बैग के मालिक को सूचना दिया। उक्त यात्री दिलीप कुशवाह उम्र 24 साल निवासी गांव बनबनी जिला उज्जैन के कोटा पोस्ट पर उपस्थित होने पर रेसुब. द्वारा उक्त बैग सही सलामत सुपुर्द किया।
38.	जबलपुर	19.06.16	**(जबलपुर मण्डल/सतना पोस्ट) रेसुब. द्वारा नाबालिक बालिका को चाइल्ड लाइन सतना को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 18.06.2016 को सतना पोस्ट के रेसुब. के उपनिरीक्षक डी.के.पटेल द्वारा गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 01 पर एक नाबालिक बालिका को रोते हुये देखा एवं रेसुब. द्वारा बालिका से पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम पूजा अहिरवार आत्मज अशोक अहिरवार उम्र 13 वर्ष निवासी ग्राम देवपुर तहसील बडा जिला सागर बताया तथा आगे की पूछताछ करने पर वह कोई सन्तोषजनक जबाब नही दे पा रही थी। अतः उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पटेल द्वारा उक्त बालिका के बताये अनुसार उसके परिजनों को सूचित किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ पोस्ट सतना लाकर उक्त बालिका को अग्रिम कार्यवाही हेतु चाइल्ड लाइन सतना को सुपुर्द किया गया।

39.	जबलपुर	19.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा नाबालिक बालक को परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 19.06.16 को जबलपुर स्टेशन रेसुब. के सउनि टी.डी.बरकडे मय स्टाफ के साथ गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 06 पर समय करीबन 07.00 एक बालक दिखाई दिया। रेसुब. द्वारा बालक से पूछताछ करने पर नाम मानव पटेल पिता धर्मेन्द्र पटेल उम्र 05 वर्ष निवासी नई बस्ती नम्बर 01 का गोहलपुर का रहनेवाला बताया बाद उक्त बालक ने बताया कि मैं अपनी मम्मी सुमन पटेल के साथ रीवा जाने हेतु जबलपुर स्टे न आया हूँ, रेसुब. द्वारा एलान्समेन्ट कराया गया एवं पोस्ट पर लेकर आये। रेसुब पोस्ट जबलपुर समय करीबन 8.00 बजे बालक की माता सुमन पटेल मोबाइल 8359802611 उपस्थित हुये और उक्त बच्चे ने अपनी मम्मी को पहचान लिया बाद रेसुब. द्वारा 02 गवाहों के समक्ष उक्त बालक को सुपुर्दनामा के तहत उसकी माँ सुमन पटेल को सुपुर्द किया गया।
40.	भोंपाल	21.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस महिला को परिवारजनो को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 21.06.16 को भोपाल पोस्ट के रेसुब. उपनिरीक्षक राजपति राम को भोपाल स्टे न पर गश्त के दौरान पीएफ नं. 01 के एक महिला वेटिंग हाल में संदिग्ध अवस्था में देखकर महिला से पूछताछ करने पर महिला ने अपना सावित्री यादव बताया तथा अपने आदमी का नाम श्री रामचन्द्र यादव सिपरी बाजार झाँसी का होना बताया तथा उसके पास एक मोबाईल नं. 09794896723 मिला जिस पर रेसुब. द्वारा संपर्क करने पर अपना नाम पता राम चन्द्र यादव पुत्र बर्मा राम यादव उम्र 76 वर्ष निवासी 351/01 ए दीन दयाल नगर पीएस सिपरी बाजार जिला झाँसी उ.प्र. बताया तथा सावित्री यादव को अपनी पत्नी होना बताया व बताया कि दिनांक 29.05.16 को मंदिर गई थी जिसकी लिखित रिपोर्ट थाना प्रभारी सिपरी बाजार झाँसी को दिया था। रेसुब. द्वारा व्यक्ति को पोस्ट पर बुलाकर उक्त लावारिस महिला की पहचान हो जाने पर सुपुर्द कर दिया गया।
41.	भोपाल	21.06.16	**(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को टी.टी. नगर चाईल्ड केयर लाईन को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 21.06.16 को यात्री अरिफ सावंत पुत्र अशोक सावंत उम्र 23 वर्ष ट्रेन नं. 22912 के एस–11 टिकट नं. 63534166 एक्स हावड़ा से भोपाल मोबा.नं. 9679305642 द्वारा भोपाल पोस्ट पर सूचना दी कि एक बालक लावारिस रूप से बैठा है जिसकी उम्र 15 साल जो बोल नहीं पाता व एक पैर से विकलांग मानसिक रूप से विकृत है। उक्त सूचना पर भोपाल पोस्ट के उपनिरीक्षक एम.एस. पटेल द्वारा ट्रेन नं. 22912 के स्टे न आने पर उक्त कोच पर पहुँचे तो उक्त बालक दिखाई दिया जिसे भोपाल पोस्ट पर ले आये एवं रेसुब. द्वारा व टी.टी. नगर चाईल्ड केयर लाईन मेम्बर को संपर्क कर पोस्ट पर बुलाया गया। भोपाल पोस्ट पर चाईल्ड लाईन मेम्बर दिनेश पंथ के पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा दो गवाहों के समक्ष बालक को सुपुर्द किया गया।
42.	जबलपुर	22.06.16	**(जबलपुर मण्डल/मैहर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवाजनो को सौपने बावत्।** दिनांक 22.06.16 को मैहर पोस्ट के रेसुब. आरक्षक मोहन द्विवेदी को गस्त के दौरान प्लेटफार्म 01 पर एक बालक रोते दिखाई देने पर रेसुब. आरक्षक द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम अमन चौहान उम्र 05 वर्श बताया। बालक ने बताया कि वह अपनी माँ से स्टे न में बिछड़ गया है। रेसुब. द्वारा तुंरत कार्यवाही करते हुये स्टे न पर अलाउसमेंट कराया एवं बालक के परिवारजनो को प्लेटफार्म पर ढूढा गया। प्लेटफार्म पर बालक की माँ के मिलने पर रेसुब. द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम श्रीमति आ ा चौहान पत्नि अनिल चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना कासमाबाद जिला गालीपुर उ.प्र. बताया एवं अपने बालक को पहचान कर लिया गया। रेसुब. द्वारा दोनो को पोस्ट पर लाकर सउनि. एस.आर.सिह द्वारा पंचो के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत बालक को उसकी माँ को सुपुर्द किया गया।
43.	जबलपुर	22.06.16	**(जबलपुर मण्डल/न्यू कटनी पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार उपलब्ध कराने एवं जीवन रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने बावत्।** दिनॉक 22.06.16 को गाड़ी सख्या 11448 मे स्कार्टिग ड्यूटी पर तैनात प्रआर एस.के मिश्रा व आरक्षक के.के बैठा ने मडवास–जोबा के मध्य कि.मी. क्रमांक 1234/02 पर एक व्यक्ति गाड़ी के इंजन से टकरा कर घायल हो गया। रेसुब. द्वारा उक्त घायल व्यक्ति को घटना स्थल से उठाकर उसी गाड़ी से ब्यौहारी लाया गया। रेसुब. द्वारा घायल को रेल्वे चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार देकर सिविल अस्पताल ब्यौहारी मे भर्ती कराया गया। घायल यात्री से पूछताछ की गई तो उन्होने अपना नाम अर्जन पुत्र हेतराम उम्र 23 साल साकिन पनीहा थाना मझौली जिला सीधी बताया। रेसुब. द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घायल को उपचार उपलब्ध कराकर जीवन रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
44.	जबलपुर	23.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब.द्वारा चोरी कर भाग रहे व्यक्ति को पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 23.06.2016 को जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 06 बुकिंग हाल में टिकट लेने खड़े एक व्यक्ति आ ीष जैन पुत्र महेन्द्र जैन, उम्र 44 वर्ष, निवासी 1432, राईट टाउन, थाना लॉडगंज, जिला जबलपुर, मोबाईल नंबर 9424504843 का पर्स जिसमें 2,000/–रू. नगद, ड्राईविंग लाईसेंस रखा था को चोरी कर भाग रहे व्यक्ति को प्लेटफार्म डियूटी पर तैनात प्रआ. राजललन गर्ग द्वारा पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति को प्रआर. राजललन गर्ग व आशीष जैन द्वारा जबलपुर पोस्ट लाया गया व पकड़े गये व्यक्ति की तला ी लेने पर उसके पास आशीष जैन का पर्स व उसमें रखे नगद रूप्ये तथा इसके अतिरिक्त 425/–रू. नगद मिले। रेसुब. द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद हारून, उम्र 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1219, ढलगर मोहरिया तले, थाना हनुमानताल, जबलपुर बताया। रेसुब.स्टाफ द्वारा आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी जबलपुर को सुपुर्द किया गया जिस पर जीआरपी/जबलपुर द्वारा उक्त पकड़े गये व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 143/2016, अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी दर्ज किया गया है।

45.	जबलपुर	23.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट)रेसुब. द्वारा मानसिक विकलांग बालक को उसके परिवारजनो को सौपने बावत्।** दिनांक 23.06.16 को बल्लू साहू द्वारा मसुनिक.को सूचना दी कि वह अपने परिजनो के साथ गाड़ी सं 51188 से कटनी से स्लीमनाबाद की यात्रा कर रहा था कि उसका मानसिक विकलाग भाई धनश्याम साहू उम्र 17 साल गाड़ी मे ही छूट गया है उसे गाड़ी से उतरवाने हेतु सहायता मांगी गई। मसुनिक. द्वारा उक्त सूचना को जबलपुर पोस्ट पर दी गई। जबलपुर पोस्ट द्वारा आरक्षक मनभरण दहायत जो श्रीधाम स्टेशन पर अपराध रोकथाम डियूटी पर तैनात थे, को सूचना दी गई। गाड़ी सं. 51188 के स्टे ान पर आने पर रेसुब. द्वारा गाड़ी पर खोजबीन करने पर बालक धनश्याम साहू उम्र 17 साल मिला गया जिसे अपने साथ लेकर जबलपुर पोस्ट पर आये। रेसुब. जबलपुर पोस्ट द्वारा उक्त बालक को पंचो के समक्ष उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।
46.	जबलपुर	24.06.16	**(जबलपुर मण्डल/मैहर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को उसके परिवारजनो को सौपने बावत्।** दिनॉक 24.06.16 को मैहर स्टेशन पर रेसुब. आरक्षक मोहनलाल द्विवेदी, आरक्षक आशीष कुमार को रेलवे परिसर पर गस्त के दौरान 02 वर्षीय बालक रोते हुए दिखाई दिये जाने पर रेसुब. द्वारा बालक से पूछने पर बालक द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी न मिलने पर रेसुब. ने बालक के संबंध मे स्टे ान परिसर पर उदघोषणा कराई गई व स्टेशन परिसर मे बालक के परिजनो की तलाश की गई तो बालक के पिता श्री बीरेन्द्र केशरवानी उम्र 31 साल साकिन ग्रम देवीजी अरकंडी थाना मैहर जिला सतना ने बालक को देख अपने पुत्र दीपक के रूप मे पहचान की गई। रेसुब. द्वारा बालक दीपक व उसके पिता के संबंध मे पूछताछ कर समक्ष गवाहन तशदीक पश्चात बालक दीपक को उसके पिता को सुपुर्द किया गया।
47.	जबलपुर	24.06.16	**(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट)रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को उसके परिवारजनो को सौपने बावत्।** दिनांक 24.06.2016 को जबलपुर स्टे ान पर रेसुब. के स.उ.नि. महे । प्रसाद मिश्रा हमराह स्टॉफ प्रि ाक्षु आरक्षक रामानुज यादव को गस्त के दौरान प्लेटफार्म कमांक 05 समय करीबन 14:00 बजे एक बालक रोता हुआ मिला, जिससे स.उ.नि. महे । प्रसाद मिश्रा द्वारा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पंकज कुमार राजवं ी पुत्र सतेन्द्र राजवं ी, उम्र 07 वर्ष, निवासी ग्राम विष्णुपुरा, थाना ईमादपुर, जिला भोजपुर, बिहार बताया तथा बताया कि वह 5–6 दिन पहले अपने गॉव से अपने मम्मी–पापा के साथ बस से आरा आया था जहॉ वह अपने मम्मी–पापा से बिछड़ गया व ट्रेन से ब्यौहारी आया एवं वहॉ से भटकते हुए दूसरी ट्रेन में चढ़ गया तो जबलपुर आ गया इस कारण से रो रहा है बाद उक्त बालक को रेल सुरक्षा बल जबलपुर पोस्ट लाकर बालक द्वारा बताये पते के अनुसार रेसुब. द्वारा सिविल पुलिस थाना ईमादपुर के थाना प्रभारी श्री सतपाल सिंह से उनके मोबाईल नंबर 09431822318 पर सम्पर्क कर उक्त बच्चे के बारे में सूचना दी तो थाना प्रभारी महोदय द्वारा तत्काल उक्त बच्चे के माता–पिता को सूचित किया गया। उक्त सूचना पर बालक के माता–पिता जबलपुर पोस्ट पर आये। रेसुब. द्वारा बालक को सुपुर्दगीनामें के तहत बालक को उसके परिवारजनो को सुपुर्द किया गया।
48.	भोपाल	24.06.16	**(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस मिले पर्स को पर्स के मालिक को सुपुर्द करने बावत्।** दिनांक 24.06.16 को इटारसी स्टे ान के उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी को गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 01 पर एक बेंच पर एक काले रंग का पर्स मिला जिसके संबंध में आस–पास पूछताछ करने पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, बाद पर्स को पोस्ट पर लाकर खोलकर देखने पर उसमें नगद 1440/– रूपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व आईडीबीआई बैंक के एटीएम, ड्राईविंग लाईसेंस मूल प्रति रखे हुये थे, पर्स में रखे एसडी कार्ड में से मिले मोबाईल नं. 9235639147 पर रेसुब. द्वारा संपर्क करने पर अजय से सम्पर्क हुआ। रेसुब. द्वारा पर्स से संबधित जानकारी दी गई एवं अजय को पर्स के मालिक को सम्पर्क कर सूचित करने को कहा। कुछ ही समय पश्चात कृष्णास्वरूप ने मोबाईल नं. 9838551075 से उप निरीक्षक से सम्पर्क किया एवं आरपीएफ पोस्ट में उपस्थित हुये। कृष्णास्वरूप द्वारा पर्स की पहचान करने पर दो गवाहों के समक्ष एक काले रंग का पर्स सभी सामान के साथ रेसुब. द्वारा कृष्णास्वरूप को सुपुर्द किया गया।
49.	जबलपुर	25.06.16	**(जबलपुर मण्डल/मैहर पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल बालक को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने बावत्।** दिनांक 25.06.16 को मैहर स्टे ान पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक सूरज कुमार सैन ने गस्त के दौरान देखा कि एक बालक प्लेटफार्म पर गिर गया है, जिसके माथे से खून बह रहा है। रेसुब. आरक्षक द्वारा तुरंत बालक को लेकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया एवं पूछताछ पर बालक ने अपना नाम अरविंद पिता काली राम उम्र 06 वर्श निवासी नरहारी जिला सतना बताया।
50.	भोपाल मंडल एवं कोटा मंडल	27.06.2016	01. आज दिनॉक 27.06.16 को आरक्षक ओमप्रकाश रघुवंशी रे.सु.बल,पोस्ट भोपाल को ड्यूटी के दौरान पीएफ न.–04 पर नये एफओबी के पास एक पुराना मोबाइल सेमसंग कंपनी का पडा मिला। उक्त आरक्षक ने मोबाइल में अकिंत न. 9993390546 पर कॉल करने पर, सिविल पुलिस सउनि गुलजार के मोबाइल पर बातचीत हुई, उन्होने बताया कि वह मोबाइल महाकाल थाना में पदस्थ आरक्षक प्रमोद पाटीदार का है। आरक्षक प्रमोद पाटीदार का साथी आर. परमजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह उम्र–25 वर्ष,निवासी–मकान न. 10/08 टीटी नगर भोपाल (म.प्र.) मोबाइल न. 9303139402 रेसुब पोस्ट भोपाल में उपस्थित होने पर प्रमोद पाटी दार से बात कर उनका सेमसंग कंपनी का मोबाइल दो गवाहो के समक्ष साथी आर. परमजीत सिंह को सुपुर्द किया । 02. दिनांक 27.06.2016 को गाडी सं. 22654 अप निजामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस में एसीपी रोकथाम ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक नेत्रपाल सिंह ने समय 14.37 बजे स.उ.नि. धर्मपाल सिंह हिण्डौन सिटी को मोबाईल पर सूचना दिया कि फतेहसिंहपुरा–हिण्डौन सिटी के मध्य किमी 1140/5 पर एसीपी में गाडी खडी होने तथा उक्त गाड़ी से एक व्यक्ति के गिरने की खबर उसके परिजनों ने दी है। उक्त सूचना पर

			उक्त सहायक उप निरीक्षक साथ आरक्षक को लेकर तत्काल रवाना होकर समय 14.55 बजे किमी 1142/19–17 के मध्य पहुॅचे। यहॉ पर बेहोशी की हालत में शरीर से खून निकलता हुआ एक व्यक्ति गिरा हुआ मिला। उक्त बल सदस्यों ने तुरन्त ही उक्त व्यक्ति को उठाकर मोटर साईकल से सिविल अस्पताल, हिण्डौन सिटी में एडमिट कराया। घायल व्यक्ति का नाम दीपक, उम्र–21 साल निवासी जिला–सोपुर बताया। घायल व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा फर्स्ट एड देकर सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया। गाड़ी में एसीपी कर उतरने वाले लोगो ने अपने नाम मुकेश उम्र 23 साल, किरन उम्र 20 साल, कनिश्का उम्र–18 साल सभी निवासी–सोपुर ने बताया कि गिर्राज जी की परिक्रमा के लिये जाने के दौरान गाड़ी के फतेहसिंहपुरा से निकलने के बाद उनका साथी गाड़ी से गिर गया था। सउनि धर्मपाल सिंह एवं आरक्षक रमन सिंह द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुॅचकर घायल को समय पर अस्पताल पहुॅचाकर उसकी जान बचाकर अच्छा कार्य किया गया है ।
51.	कोटा मंडल	28.06.2016	**(कोटा मंडल/कोटा पोस्ट) रेसुब स्टाफ द्वारा लावारिस बुजुर्ग महिला को सोशल मीडिया का बेहतर प्रयोग करते हुए उनके पुत्र से मिलवाने के संबंध में ।** दिनांक 28.06.2016 को कोटा स्टेशन प्लेटफार्म नं 04 पर 16.00 से 24.00 बजे की शिफ्ट ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक ज्ञानप्रकाश को एक बुर्जुग महिला उम्र लगभग 70 साल अति परेशान हालत में नजर आई। उक्त प्रधान आरक्षक को उस महिला की भाषा समझ में न आने पर कोटा पोस्ट पर उप निरी. राजीव को बताया व उक्त महिला को महिला आरक्षको की सहायता से कोटा पोस्ट लाकर किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति की तलाश भाषा समझने के लिए की। महिला आरक्षक की रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कार्यरत बैचमेट महिला आरक्षक को फोन लगाने पर फोन पर महिला ने अपना नाम स्वेतम्मा निवासी पोम्माकोट्टाई जिला अरप्पूकोट्टा तमिलनाडू (SWETHAMMA R/O POMMAKOTTAI, DISTT. ARAPPUKOTTA TAMILNADU) बताया। उक्त महिला का फोटो खींचकर उपनिरीक्षक राजीव द्वारा WhatsApp Group पर अपने एक बैचमेट को डाला। जिस पर उनके बैचमेट उपनिरीक्षक ने फोन कर बताया कि उक्त महिला का बेटा SETHU उनको ग्वालियर में ढूंढने आया था। जिसका फोटो और मोबाइल नं ग्वालियर आरपीएफ पोस्ट से उपनिरीक्षक राजीव को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। मोबाइल पर संपर्क किये जाने पर महिला यात्री के बेटे SETHU ने बताया कि उनकी मॉ दो दिन पहले ग्वालियर स्टेशन पर गुम हो गई थी, वह दिल्ली में है। वह अपनी मां को लेने दिल्ली से कोटा आ रहा है। बाद में महिला के बेटे ने दिनांक 29.06.2016 को कोटा पोस्ट पर आकर बताया कि वह भारतीय सेना सूरतगढ़ में लांस नायक पर तैनात है। उनके द्वारा महिला की पहचान करने पर उक्त महिला को उनके सुपुर्द किया गया।

*****

BAD WORK reported during the month June-2016 –

S. N.	Zone	Summury of the case	Action advised by RPF/HQ with date	Follow up action/action taken by Zone	If no action taken reason thereof.
1.	W.C.R./ Kota Div.	दिनांक 05.06.2016 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र जबलपुर में प्रकाशित खबर के संबंध में मंसुआ/जबलपुर द्वारा जारी विशेष घटना रिपोर्ट–21/2016 दिनांक 06.06.2016 के अनुसार दिनांक 05.06.2016 को फरियादी श्रीमति अर्चना तिवारी पत्नि सुरेन्द्र तिवारी, उम्र–34 वर्ष, की शिकायत पर बी0के0 तिवारी, प्रधान आरक्षक/रे0सु0ब0 पोस्ट बारॉ, कोटा मण्डल के विरूद्ध अपराध क्रमांक–406/2016 धारा 376 (2)(f), 376 (2)(द), 506 भादसं दिनांक 05.06.2016 दर्ज होने की सूचना पर प्रधान आरक्षक बी0के0 तिवारी तैनाती रे0सु0ब0 पोस्ट बारॉ को तुरन्त प्रभाव से दिनांक 06.06.2016 को निलम्बित कर श्यामगढ़ पोस्ट पर अटैच किया गया है। प्रधान आरक्षक बी0के0 तिवारी वर्तमान में अनुपस्थित है।	निल	प्रधान आरक्षक को तुरन्त प्रभाव से दिनांक 06.06.16 को निलम्बित कर श्यामगढ़ पोस्ट पर अटैच किया गया है।	थ्नल
2.		यात्री पंकज द्वारा की गई शिकायत में दिनांक 11.06.2016 को वह गाड़ी संख्या–19019 डाउन के कोच नम्बर एस/1 की बर्थ नम्बर–34,35 पर यात्रा के दौरान नारायणपुर टटवाड़ा–गंगापुरसिटी के मध्य रे0सु0ब0 जवान धर्मवीर सिंह द्वारा उसके बैग से उसका माइक्रोमेक्स कम्पनी का मोबाईल फोन कीमत 20,000/–रूपये की चोरी कर ले जाते समय पकड़ने पर उसने फोन को खिड़की से बाहर फैंक देना बताया। यात्री द्वारा मुख्य टिकट निरीक्षक (शयनयान) कोटा को रेलवे प्रिन्टेट फार्म पर लिखित शिकायत दिया जो जीआरपी गंगापुरसिटी को जरिये डाक प्राप्त होने पर वर्णित घटना के संबंध में अ0क्र0–58/2016 धारा 380 भा0द0सं0 दिनांक 18.06.2016 कायम कर मामला जांच में लिया गया है। उक्त गाडी की सुरक्षा पार्टी में आर. धनवीर सिंह तैनात था जबकि जीआरपी थाना गंगापुरसिटी में एफआईआर आर. धर्मवीर सिंह ई.कम्पनी कोटा के खिलाफ दर्ज की गई है। इस संबंध में तीन निरीक्षको की टीम गठित कर जॉच की जा रही है।	निल	मामले की जाचं हेतु तीन निरीक्षको की टीम गठित कर जॉच की जा रही है।	निल

::::::::::::::––––::::::::::::::